संख्या-08/2022/80/24-1-22-18पी/2020

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 19 जनवरी, 2022**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1903/अधि0नि0(वित्त)/निधि-।।/ आय-व्ययक/2021-22/407/2020, दिनांक 11 जनवरी, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बचत में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 हेतु विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशियों में हो रही बचतों के सापेक्ष कुल धनराशि रूपये 1000,00,00,000/- (रूपये एक हजार करोड़ मात्र) को पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम-9 प्रपत्र के अनुसार उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण में स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत की जा रही धनराशि मै0 ललितपुर पावर जनरेशन कम्पनी की बकाया धनराशि के सापेक्ष रूपये 1000,00,00,000/- (रूपये एक हजार करोड़ मात्र) को माह जनवरी एवं माह फरवरी, 2022 में रूपये 500,00,00,000/- (रूपये पॉच सौ करोड़ मात्र) की दो समान किश्तों में आहरित की जायेगी। अवमुक्त धनराशि का उपयोग अन्य किसी कार्य हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

4- उपरोक्त धनराशि शासनादेश संख्या-01/24-ऊ0नि0नि0प्र0/22-24(प्रकोष्ठ)/10, दिनांक 07 जनवरी, 2022 के अनुसार मै0 बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0 की प्रदेश में स्थित विभिन्न इकाईयों को उपलब्ध करायी जानी है। इस हेतु, चीनी एवं गन्ना विकास विभाग अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-28/46-3-22-3(03)/2021, दिनांक 11 जनवरी, 2022 के द्वारा बजाज हिन्दुस्थान शुगर कम्पनी लि0 की संबंधित इकाईयों के बैंक खातों का विवरण उपलब्ध कराया गया है। चीनी एवं गन्ना अनुभाग-3 द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण एवं इकाईवार फांट का विवरण इस शासनादेश के संलग्नक के रूप में अवलोकनीय है।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा आहरित किश्त का भुगतान उपरोक्त संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार मै0 बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0 की संबंधित इकाई के खाते में आर0टी0जी0एस0 द्वारा किया जायेगा।

6- गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग द्वारा बजाज हिन्दुस्थान शुगर लि0 को इस आशय के निर्देश अपने स्तर से निर्गत किये जायेगें कि उक्त धनराशि का उपयोग किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु किया जाये।

7- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत एवं आहरित धनराशि को ललितपुर पावर जनरेशन कम्पनी के उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 पर बकाया विद्युत क्रय देयों के सापेक्ष भुगतानित माना जायेगा तथा ललितपुर जनरेशन कम्पनी के लम्बित देयों में समतुल्य धनराशि की कमी कर ली जायेगी।

8- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने खातों में उक्त धनराशि का भुगतान ललितपुर पावर जनरेशन कम्पनी लि0 के देयों के सापेक्ष पुस्तांकित किया जायेगा।

9- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

10- भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या- 437/6/1/ECI/INST/MCC/2022, दिनांक 08-01-2022 द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 की घोषणा के उपरान्त आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वर्तमान में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत उसके पूर्ण अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उललंघन न हो।

11- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 जिस मद से पुनर्विनियोग कर रहे हैं, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मॉग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

12- जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।

13- प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

14- पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु निदेशक (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 उत्तरदायी होंगे।

15- किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का होगा।

16- स्वीकृत धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (व्ययक-आय) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप-दिनांक22 मार्च, 2021 एवं समयनिर्गत पर समय- दिशापूर्णतया का निर्देशों- अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

17- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/ लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

18- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

19- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक "4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-08-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को वितरण नेटवर्क के सुदृढीकरण हेतु अंशपूँजी-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

20- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या -ई-10-3429/दस-2021 22, दिनांक 18 जनवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

संख्या-08/2022/80(1)/24-1-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- चीनी एवं गन्ना विकास अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

6- ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / राज्य योजना आयोग-1/ गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in